समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Sunday, 30 August 2026

जिला सहकारिता पदाधिकारी के मनमाने रवैये का आरोप, रतनी प्रखंड मे धान अधिप्राप्ति कार्य ठप

RANJEET KUMAR | Published on 20 Dec 2025

[illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible]

जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में धान अधिप्राप्ति कार्य उस समय ठप हो गया, जब पैक्स अध्यक्षों ने जिला सहकारिता पदाधिकारी पर मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से धान खरीद कार्य बंद करने का निर्णय लिया। इसको लेकर मुख्य बाजार शकूराबाद में पैक्स अध्यक्षों की एक अहम बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोआवां पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स एवं मिलरों के साथ कोई समन्वय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल क्षमता का आकलन किए बिना मनपसंद मिलरों के साथ टैगिंग की जा रही है, जिससे पैक्स और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के पत्रांक 3668 दिनांक 16/12/25 के अनुसार जहानाबाद जिले के लिए मात्र 5647 मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। यह लक्ष्य जिले के कुल धान उत्पादन का मात्र 22 प्रतिशत ही है।

कम लक्ष्य निर्धारित किए जाने के कारण किसान अपना धान पैक्स में नहीं भेज पा रहे हैं, जिससे किसानों और पैक्स प्रबंधन के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कसवां पैक्स के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया कि निर्धारित 22 प्रतिशत लक्ष्य को घटाकर मात्र 11 प्रतिशत कर दिया गया, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है।

पैक्स अध्यक्षों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक इन सभी समस्याओं का समुचित समाधान नहीं किया जाता, तब तक रतनी फरीदपुर प्रखंड के सभी पैक्स धान अधिप्राप्ति कार्य को बंद रखेंगे।

इस बैठक में नोआवां पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, नारायणपुर पैक्स अध्यक्ष नितेश कुमार, लाखापुर पैक्स अध्यक्ष विश्वजीत कुमार,

मुरहारा पैक्स अध्यक्ष शशि कुमार वर्मा, नेहालपुर पैक्स अध्यक्ष अमित कुमार सहित अन्य पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.